भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 170

(जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है)

तृतीय पार्टी बीमा

170. श्री सोयम बापू रावः
श्री जी॰ सेल्वमः
श्री गौतम सिगामणि पोनः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
श्री धनुष एम॰ कुमारः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुसार, बीमाकर्ता कितनी लंबी अवधि के लिए मोटर, दो पहिया वाहन बीमा पॉलिसी की पेशकश कर सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार नए वाहन के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकमुश्त प्रीमियम लाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए वाहन के सम्बन्ध में तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकमुश्त प्रीमियम कब तक लागू होने की संभावना है;

(घ) क्या आईआरडीएआई ने गैर-जीवन बीमाकर्ताओं को वाहन मालिकों को तृतीय पक्ष के मोटर बीमा कवर की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों से यह भी कहा है कि वे वाहन मालिकों द्वारा ऐसे तृतीय पक्ष के बीमा कवर के लिए किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं करें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कई राज्य सरकारों ने शिकायत की है कि तृतीय पक्ष बीमा प्राप्त करने की बोझिल प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन में बाधा बन रही है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) तृतीय पार्टी बीमाकर्ता के दावों को एक नियत समय-सीमा के भीतर निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गये हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने सूचित किया है कि साधारण बीमा कंपनियां, उच्चतम न्यायालय के आदेश सं. 295/2012 में दिए गए अधिदेश के

अनुसार, दिनांक 01.09.2018 से प्रभावी दिनांक 28.08.2018 के परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/137/08/2018 के द्वारा नए दो पहिया वाहनों के लिए पांच वर्ष की अवधि का तृतीय पक्ष देयता बीमा का प्रस्ताव किया गया है। दो पहिया वाहनों के पॉलिसीधारकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए पॉलिसी नवीकरण का विकल्प भी है। इसके अलावा, बीमा कंपनियां नए दो पहिया वाहनों के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए स्व-क्षति बीमा सहित दीर्घावधि पैकेज कवर का विकल्प भी प्रदान करती है।

वर्तमान में, नये वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकबारगी प्रीमियम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव इरडाई के पास नहीं है।

(घ) से (च): इरडाई ने निर्बाध पहुंच और तृतीय पक्ष वाहन बीमा कवर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए साधारण बीमा कंपनियों को समय-समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किए हैं जिनमें दिनांक 31.10.2002, 29.07.2005, 16.03.2006 और 01.01.2018 के परिपत्रों के माध्यम से साधारण बीमा कंपनियों को वाहन स्वामियों के तृतीय पक्ष बीमा के किसी अनुरोध को अस्वीकार नहीं करने का निदेश जारी किया गया है। इसी प्रकार, उन्हें इस संबंध में किसी राज्य सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ज): जहां तक समयबद्ध तरीके से बीमा दावों के निपटान का संबंध है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय XI में संशोधन किया है जिसमें मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से अध्याय XI में धारा 51 के अंतर्गत निम्नलिखित उपबंध जोडे गए हैं :-

I. धारा 149(2) और (3) - में यह अपेक्षा की गई है कि बीमा कंपनी दावाकर्ता या दावा अधिकरण से दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर निपटान के लिए दावाकर्ता को एक प्रस्ताव भेजे।

ii. धारा 149(3) में यह कहा गया है कि यदि दावाकर्ता निपटान का प्रस्ताव स्वीकार करता है तो दावा अधिकरण ऐसे निपटान का एक अभिलेख तैयार करेगा और बीमा कंपनी को ऐसा अभिलेख की तारीख से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे का भुगतान करना होगा।

iii. धारा 159 में यह उपबंध किया गया है कि ऐसी दुर्घटना, जिसमें कोई मोटर वाहन शामिल हो, पुलिस अधिकारी को दावे के निपटारे को सुकर बनाने के लिए तीन माह के भीतर दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करके और उसे दावा अधिकरण और ऐसे अन्य अभिकरण, जो विहित किया जाए, के समक्ष तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना आावश्यक है।

*****